पीएम-केयर्स स्कीम फॉर चल्डि्रन

प्रलिमि्स के लयि:

पीएम केयर्स स्कीम फॉर चल्डि्रन, आयुष्मान भारत योजना, पीएम ई-वदि्या, मनोदर्पण, कोवडि-केयर, सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रस्पिॉन्सबिलिटिी) व्यय।

मेन्स के लयि:

बच्चों पर कोवडि-19 का प्रभाव, इस दशा में उठाए गए कदम, बच्चों से संबंधति मुद्दे, शक्षिा, सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने **पीएम-केयर्स स्कीम फॉर चल्डि्रन** की वैधता को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दयिा है, यह पहले 31 दसिंबर, 2021 तक वैध थी।

//

पीएम-केयर्स स्कीम फॉर चल्डि्रन:

- **परचिय:**
  - यह **योजना 29 मई, 2021** को उन बच्चों की सहायता करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जन्होंने **कोवडि-19** महामारी के दौरान अपने माता-पता या कानूनी अभभिावक/दत्तक माता-पता को खो दयिा था।
    - देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों में अनाथ (10,094) तथा जन्होंने माता-पता में से कसिी एक को खो दयिा (1,36,910) और परतियक्त (488) बच्चे शामलि हैं, जनिकी कुल संख्या 1,47,492 है।
    - लगि के आधार पर देखें तो इन 1,47,492 बच्चों में लगभग 76,508 लड़के, 70,980 लड़कयिाँ और चार ट्रांसजेंडर शामलि हैं।
  - इस योजना का उद्देश्य बच्चों की नरितर व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनश्चिति करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शक्षिा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और **23 वर्ष की आयु तक वत्तिीय सहायता प्रदान कर आत्मनरि्भर ब** नाना

है।

- **योजना की विशिषताएँ:**
    - **10 लाख रुपए का कोष:**
        - इनमें से प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी।
        - इस कोष का उपयोग 18 वर्ष की आयु के बाद अगले पाँच वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति हेतु किया जाएगा और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक उपयोग के लिये उसे एकमुश्त के रूप में कोष की राशि मिलेगी।
    - **बच्चों की शिक्षा**
        - छोटे बच्चों की शिक्षा का खर्च **केंद्रीय विद्यालयों** और निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रवेश के माध्यम से वहन किया जाएगा।
        - इन बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के दौरान ट्यूशन फीस या शैक्षिक ऋण के बराबर छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जहाँ ऋण पर ब्याज का भुगतान **पीएम-केयर्स फंड** द्वारा किया जाएगा।
    - **स्वास्थ्य बीमा:**
        - आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे सभी बच्चों को एक लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें **5 लाख रुपए** तक का स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल होगा।
        - ऐसे बच्चों के 18 वर्ष के होने तक प्रीमियम राशि का भुगतान **पीएम-केयर्स फंड** द्वारा किया जाएगा।

'पीएम केयर्स' फंड क्या है?

- सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' (PM CARES) की स्थापना की है।
- पीएम-केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
- यह कोष सूक्ष्म-दान को सक्षम बनाता है यानी इसमें राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम होते हैं।
- यह कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत करने एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।
- पीएम-केयर्स फंड में किया गया योगदान 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (CSR) के रूप में योग्य है।

कोविड के दौरान सरकार द्वारा बच्चों के लिये की गई अन्य पहलें:

- **बाल स्वराज कोविड-केयर:**
    - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल 'बाल स्वराज (कोविड-केयर)' तैयार किया है।
    - यह उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रीयल टाइम मॉनीटरिंग के उद्देश्य से बनाया गया है, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।
- **पीएम ई-विद्या:**
    - 17 मई, 2020 को 'पीएम ई-विद्या' नामक एक व्यापक पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जो शिक्षा के लिये मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है।
    - इसे कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से 'वन नेशन वन डिजिटल' प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया था।
- **मनोदर्पण:**
    - इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय में छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-cares-scheme-for-children